न्यायालय नायब तहसीलदार ...पीलवा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का ...कालेटड़ा...

बनाम

अप्रार्थी :– श्री घेमाराम हरलाल जाट निवासी कालेटड़ा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या ...40 / 2018

निर्णय

दिनांक 4.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेटड़ा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में गांव के खसरा नम्बर ...409... की किस्म गैर मु. रास्ता में रकबा 0.0066 बीघा भूमि में मिट्टी डाल लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी .... से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ......स्वयं...... ने दिनाक 4.7.2018 ...... को उपस्थित होकर ...जवाब...... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम कालेटड़ा के खसरा नम्बर 409 किस्म गै. ...रास्ता... में रकबा 0.0066 बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12/– रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0066 बीघा भूमि का 0.0792 रूपये लगान का 50 गुणा 4.00 .... /– अक्षरे ...चार..... रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक ...4.07.18... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपनायब तहसीलदार पीलवा